छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को तीन और चार साल की जेल

अदालत से

- अदालत ने दोनो केस में आरोपियों को दोषी पाया
- दोषियों पर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया गया

भिनगा, संवाददाता। छेड़छाड़ के दो अलग अलग मामलों में दो लोगों को न्यायालय से सजा सुनाई है। इसके साथ अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 11 जून 2017 दिन में करीब 2 बजे अपने मड़हा में चारपाई पर अकेले लेटी थी। उसी समय गांव का ही महेंद्र यादव पुत्र बड़े बाबू यादव आया और अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर इस पर आस पास के लोग आ गए और महेंद्र मौके से भाग गया। किशोरी के बाबा की तहरीर पर थाना सिरसिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। सत्र परीक्षण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने छेड़छाड़ के मामले में महेंद्र यादव को दोषसिद्ध करार देते हुए को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसी तरह से मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 20 जुलाई 2017 शाम को गांव के बाहर अपने खेत की मेड़ पर घास काट रही थी। तभी पीछे से गांव का ही कुलदीप वर्मा पुत्र ब्रम्हा वर्मा किशोरी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर कुलदीप वर्मा मौके से भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर सत्र न्यायाधिश सुदामा प्रसाद ने कुलदीप वर्मा को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई गई और पांच हजार रुपये से भी दण्डित किया गया ।